राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10071/2009

कालू प्रकाश शर्मा

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री मुक्तेश माहेश्वरी।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री सरवन कुमार, एजीसी।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>20/03/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 28.07.2009 (अनुलग्नक 8) के आदेश के विरुद्ध है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को 30.11.2000 से दिया गया वरिष्ठ वेतनमान का लाभ वापस ले लिया गया था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध वसूली शुरू की गई थी, अर्थात उसकी सेवानिवृत्ति के 9 वर्ष बाद।

2. मामले के सुसंगत तथ्य हैं:

2.1 याचिकाकर्ता को दिनांक 19.11.1990 के आदेश द्वारा व्याख्याता नियुक्त किया गया था। वह 1995 तक व्याख्याता के रूप में सेवा करता रहा, उसके बाद उसे उप उप शिक्षा विस्तार अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

2.2 इस प्रकार याचिकाकर्ता ने 30.11.2000 को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली। उसे 19.03.2002 से वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिया गया। हालांकि, दिनांक 28.7.2009 (अनुलग्नक 8) के विवादित आदेश के तहत, प्राकृतिक न्याय के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को पूरी तरह से नकारते हुए, सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, अचानक से उक्त लाभ वापस ले लिया गया। इसलिए यह याचिका।

3. जवाब में लिया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ता को उप उप शिक्षा विस्तार अधिकारी के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने 14.08.1995 को इस पद पर कार्यभार संभाला। इसलिए, 14.08.2005 से यानी उस पद पर 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद 7500-12000 का वेतनमान देय था। दिनांक 19.03.2002 के आदेश जारी करते समय, उन्हें 30.11.2000 से गलत चयन ग्रेड दिया गया था। इसलिए, उक्त गलत आदेश को दिनांक 28.07.2009 के आदेश द्वारा सही और संशोधित किया गया था। इसलिए, याचिका केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। 4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

5. यहाँ एक छोटा सा विवाद उभर कर आता है; कि क्या याचिकाकर्ता का मामला पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) एवं अन्य: (2015) 4 एससीसी 334 में निर्धारित अनुपात के अंतर्गत आता है?

6. उत्तर सकारात्मक है। आइए देखें कि कैसे।

7. उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा-18 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत वसूली की जा सकती है, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> “18. उन सभी कठिनाई की स्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेंगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया है। जैसा भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगी:
> (i) वर्ग III और वर्ग IV सेवा (या समूह C और समूह D सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली, जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसे तदनुसार भुगतान किया जाता है, भले ही उसे सही मायने में निम्न पद के विरुद्ध काम करने की आवश्यकता होती।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।

8. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता का मामला रफीक मसीह में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है।

9. उत्तर में या अन्यथा इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दिया गया लाभ नौ वर्षों तक चला। ऐसा होने पर, यह अवधि स्पष्ट रूप से 5 वर्ष से अधिक है, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा-18 उप-खंड (ii) में उल्लेख किया गया है और रफीक मसीह (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात के अनुसार, विवादित आदेश संधारणीय नहीं है।

10. तदनुसार, विवादित आदेश दिनांक 28.07.2009 (अनुलग्नक 8) को आगामी परिणामों के साथ रद्द किया जाता है।

11. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।